

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014—माघ 16, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2013-1-पांच (04).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 23-क में, उपनियम (3) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत की गई हो और ऐसी विवरणी के अनुसार देय सम्पूर्ण कर का भुगतान विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया हो, तो ऐसी विवरणी के साथ देय कर के भुगतान के सबूत के रूप में प्ररूप 26 में चालान या प्ररूप 26-क में ई-चालान अपेक्षित नहीं होगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2013-1-पांच (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2013-1-पांच (04), दिनांक 5 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th February 2014

No. F-A-3-35-2013-1-V (04).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 23-A, after sub-rule (3), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that where the return has been furnished electronically and the payment of full tax payable according to such return, has been made through the official web portal of the department, the return shall not be required to be accompanied by a challan in Form 26 or e-receipt in Form 26-A in proof of payment of the tax payable.”.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.